फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

छोटूराम बनाम **दलीप कुमार**

प्रार्थना पत्र 151-CPC. 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 02 सन–2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
27.07.2021	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल न0 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 4 बीकेके के प0न0 293/430(29) किला न0 2 मिन पूर्वी दक्षिणी कोना पर चालू रास्ता को आगामी तारीख पेशी तक बन्द नही किया जावे यदि इस सम्बध में गैरसायलान को कोई एतराज हो तो निधार्रित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। खाला व रास्ता की भूमि एवं सहखोतदारों पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कि या जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 27.09.2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
	उ0 वकील सायल व सायल के निवेदन पर पत्रावली पेश की गई। वकील सायल ने निवेदन किया कि पक्षकारों का राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते खारिज करावें। सायल स्वयं के द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature]	[illegible]

Scanned with CamScanner